135

135

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग -2763-I-16

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी

१- गोबर्धन, २- कल्यानदास ३- राम कृपाल ४- कैलाश नारायण ५- मूलचन्द	पुत्रगण अच्छेलाल राय

निवासी ग्राम आलमपुरा, तेहसील पलेरा,
जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) ।

--------- प्राथीगण

बिरूध्द

१- भरत चन्द् २- चन्द्रभान	पुत्रगण जशरथ राय

३- श्रीमति रामप्यारी बेवा दशरथराय
४- हेमन्त कुमार पुत्र जीवनलाल खरे
समस्त निवासीगण ग्राम आलमपुरा, तेहसील
पलेरा, जिला- टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्राथीगण

एस. के. अवस्थी अभि०
द्वारा आज दि 16-8-16
प्रस्तुत
16-8-16

निगरानी बिरूध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय जतारा जिला-टीकमगढ़ दिनांक २०-७-२०१६, अन्तर्गत धारा ४४ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० १८५/१०-११-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के समस्त पत्र कानूनी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ~~निगरानी~~ अपील-2763-एक/2016 जिला टीकमगढ गोवर्धन विरूद्ध भरतचंद्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 185/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ को अंतरित किया	

जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य